

(देखें कायदा 1)

छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट 1909 की दफे में जैसा बताया गया है। कि यह नोटिस पर तामिल दी जाय। हर एक इलजाम मालिक के लिए इसकी नकल भेजी जा रही है।

रुपये

2,52,000/-

साकिन गानरा

मनीऑर्डर

शाकिन गानरा

मोकाम सिन्डगा

दाखिलकारी जोत

शबिनान
मालुम हो कि नीचे बताये हुए

दाखिलकारी जोत के हिस्से

जिसके बारे कहा जाता आप मालिक है मुन्तिकिल किये जाने

रुपये मनीऑर्डर के जरिये आपके पास भेजा जाता है। अगर आप मनीऑर्डर के रुपये को न लिखिएगा तो

को रजिस्ट्री हो चुकी है रजिस्ट्री के मुताबिक यह डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मालगुजारी की अमानत की तरह रखा जाएगा या मालगुजारी खाते में चढ़ा दिया जायेगा।

महाल का नाम और नीजी नं.	मालिक का नाम मय नम्बर	मौजे का नाम मय थाना नं.	थाना का नाम	खतियान नम्बर	मुत्कील किए हुए तख्त का नं.	मुत्कील किए हुए तख्त का नं.	मोटिकल जोत का सालाना लगान	दाखिलकारी जोत उसके हिस्से का मुन्तुकाल करने वाले का नाम बाप का और सकुन्त	दाखिलकारी जोत उसके हिस्से जिसके मुन्तुकाल किया जाये उसका बाप का और सकुन्त	मुन्तकील की जाने का किस्म	मुन्तकील की रजिस्ट्री तारीख	रजिस्ट्री की फीस रकम	कैश मेमो
शारखंड सरका	अंखल अधिका (- सिन्डगा	गानरा 80	सिन्डगा	166	4366	0.20 रु०	5 रु०	दाखिलकारी जोत उसके हिस्से का मुन्तुकाल करने वाले का नाम बाप का और सकुन्त पिता स्व लॉरेन्स रु० आफ - गानरा सिन्डगा भाग + जिला सिन्डगा	दाखिलकारी जोत उसके हिस्से जिसके मुन्तुकाल किया जाये उसका बाप का और सकुन्त पिता स्व लॉरेन्स रु० आफ - सिन्डगा गानरा सिन्डगा भाग + जिला सिन्डगा	केवाला	24.6.16	344	7,20,000/-

शरिका रु०
24.6.16

पिता स्व लॉरेन्स रु०
24.06.16

संलग्नक-6